

10-1-19

फजावली पेश हुई। वकील वारीगण उपर है।
फजावली का अवलोकन किया गया तो दि
4-7-18 के आदेश की पालना आज तक नहीं
जारी की है इसे जोर है कि वारीगण अपने कार
को आगे नहीं बढ़ावा देते और वारीगणों
का कार न्यायालय के आदेश की अवैधता में
09-1-18 में रजिस्ट्रार किया गया। फजावली
कैसल शुमार होकर जे नंबर से कम हो।
आदेश न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक

Web Copy - Not Official